राजस्व वाद संख्या:–12/2019
नरेश कुमार वगै0 बनाम आत्माराम वगै0
निर्णय दिनांक:– 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 12/2019

01. नरेश कुमार आयु 44 वर्ष पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनु।
02. वर्षा आयु 21 वर्ष पिसराम सुभाष जाति नायक निवासी पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
03. अंजली आयु 20 वर्ष पिसरान सुभाष जाति नायक निवासी पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
04. सागर आयु 22 वर्ष पिसरान सुभाष जाति नायक निवासी पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
05. मुन्नी आयु 49 वर्ष पुत्री मोहनलाल स्त्री राजकुमार जाति नायक निवासी जोगिया मण्डि, पी. डब्लू. डी. गेस्ट हाउस के सामने, हरिद्वार। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनु हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
06. शान्ति आयु 88 वर्ष स्त्री मोहनलाल जाति नायक निवासी 9517 मुल्तानी ढाडा, नई दिल्ली जरिये मुख्तयार निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
07. बबली आयु 38 वर्ष स्त्री सुभाष जाति नायक निवासी 9517 मुल्तानी ढाडा, नई दिल्ली जरिये मुख्तयार निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
08. सुरेश आयु 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी 9517 मुल्तानी ढाडा, नई दिल्ली जरिये मुख्तयार निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
09. बबली आयु 50 वर्ष पुत्री मोहनलाल जाति नायक निवासी जेजे कॉलोनी, रघूवीर नगर, नई दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनु । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
10. राधा आयु 45 वर्ष पुत्री कालू जाति नायक निवासी जेजे कॉलोनी, रघूवीर नगर, नई दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनु । हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
11. चन्द्रकांता आयु 17 वर्ष पुत्री सुभाष जाति नायक निवासी 9517, मुल्तानी ढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली जरिये माता बबली स्त्री सुभाष जाति नायक निवासी 9517, मुल्तानी ढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
12. मोहित आयु 16 वर्ष पुत्र सुभाष जाति नायक निवासी 9517, मुल्तानी ढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। जरिये माता बबली स्त्री सुभाष जाति नायक निवासी 9517, मुल्तानी ढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्चुनूं हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
13. मीरा आयु 60 वर्ष स्त्री जीवणराम जाति नायक निवासी डी. डी. ए. पलेट सैक्टर नं. 4, रोहिणी नोर्थ, दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

14. दीपक आयु 32 वर्ष पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी डी. डी. ए. फ्लेट सैक्टर नं. 4, रोहिणी नोर्थ, दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
15. सनी आयु 26 वर्ष पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी डी. डी. ए. फ्लेट सैक्टर नं. 4, रोहिणी नोर्थ, दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल आबाद वार्ड नं. 25. विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
16. मुन्नी आयु 28 वर्ष पुत्री जीवणराम जाति नायक निवासी डी. डी. ए. फ्लेट सैक्टर नं. 4. रोहिणी नोर्थ, दिल्ली। जरिये मुख्तयार नरेश कुमार पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल आबाद वार्ड नं. 25, विकास नगर, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

बनाम

01. आत्माराम आयु 70 वर्ष पुत्र कालू जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 3 विजय बेकरी, सरकारी स्कुल के पास, आजाद कॉलोनी, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं
02. इन्द्राज आयु 64 वर्ष पुत्र कालू जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 3 विजय बेकरी, सरकारी स्कुल के पास, आजाद कॉलोनी, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
03. जगदीश प्रसाद आयु 70 वर्ष पुत्र बनवारीलाल जाति नायक निवासी वार्ड नं. 23, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
04. सीता आयु 70 वर्ष पुत्री मोहनलाल जाति नायक निवासी 9517, मुल्तानी ढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली।
05. महावीर प्रसाद आयु 67 वर्ष पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
06. नागर आयु 64 वर्ष पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
07. गोपी आयु 61 वर्ष पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
08. मोहनी आयु 80 वर्ष पुत्री आशाराम स्त्री कुम्माराम जाति नायक निवासी गऊशाला मौहल्ला, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं ।
09. ललता देवी आयु 51 वर्ष स्त्री चन्दगीराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
10. रमेश कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र चन्दगीराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
11. गोकल आयु 29 वर्ष पुत्र चन्दगीराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12. रतिराम आयु 27 वर्ष पुत्र चन्दगीराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 24, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
13. सीताराम आयु 58 वर्ष पुत्र नाथूराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 2, मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
14. लीला आयु 50 वर्ष पुत्री नांथूराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 2. मलसीसर सीसर जिला झुन्झुनूं ।
15. मनीदेवी आयु 80 वर्ष स्त्री नाथूराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 2, मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
16. लिलाधर आयु 60 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी श्याम मन्दिर के पिछे, वार्ड नं. 9, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

17. अनिल आयु 35 वर्ष पुत्र राजकुमार जाति नायक निवासी वार्ड नं. 6, बी. पी. एस. के पास, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
18. सन्तरा आयु 60 वर्ष स्त्री राजकुमार जाति नायक निवासी वार्ड नं. 6, बी. पी. एस. के पास, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
19. किशनलाल आयु 64 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी श्याम मन्दिर के पिछे, वार्ड नं. 9, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
20. मूलचन्द आयु 62 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी श्याम मन्दिर के पिछे, वार्ड नं. 9, पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
21. महेन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी श्याम मन्दिर के पिछे, वार्ड नं. 9. पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
22. नोरंग आयु 60 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी नरवाना जिला जिन्द, हरियाणा।
23. सुरज प्रकाश आयु 42 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश माता नर्मदा पुत्री हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी डी. 470, रघूवीर नगर, नई दिल्ली।
24. पवन कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश माता नर्मदा पुत्री हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी डी. 470, रघूवीर नगर, एनई दिल्ली।
25. रजनी आयु 38 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश माता नर्मदा पुत्री हनुमान प्रसाद जाति नायक निवासी डी 470, रघूवीर नगर, एनई दिल्ली।
26. शशी बाला आयु 59 वर्ष पुत्री हनुमान प्रसाद स्त्री रामकुमार जाति नायक निवासी नगरपालिका के पास, वार्ड नं. 15, मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
27. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं ।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमि खसरा नं. 39 रकबा 1.66 हैक्टर व खसरा नं. 40 रकबा 1.19 हैक्टर वाके मौजा पिलानी स्थित है। इस जमीन के खातेदार काश्तकार आवेदकगण व अनावेदकगण 3 लगायत 26 है। भूमि खसरा नं. 39 आवेदकगण के हक हिस्सा में आई हुई है जिस पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है। आवेदकगण की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 39 में आने जाने के लिए कोई भी कटानी रास्ता नहीं लगता है।

यह कि जमीन वर्णित धारा 1 आवेदन पत्र के पश्चिम दिशा में खसरा नं. 23 रकबा 2.16 हैक्टर वाके मौजा पिलानी स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 1 व 2 है। उक्त जमीन हाल खसरा नं. 23 के पश्चिम दिशा में कटानी रास्ता लगता है, जिसका खसरा नं. 17 है। उक्त कटानी रास्ता खसरा नं. 17 पिलानी से मामराज का बास को जाता है। उक्त कटानी रास्ते से भूमि खसरा नं. 23 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होते हुओ आवेदकगण की जमीन खसरा नं. 39 में जाने के लिए अन्य कोई नजदीक रास्ता आवेदक की भूमि के नहीं लगता है। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा सलंग्न है जो आवेदन पत्र का ही भाग है। नजरी नक्शा में कटानी रास्ता हाल खसरा नं. 17 से लाल स्याही से ए से बी आवेदक की भूमि हाल खसरा नं. 39 तक दर्शाया गया है।

यह कि आवेदकगण अपनी भूमि हाल खसरा नं. 39 में काश्त करता आ रहा है। उक्त जमीन को काश्त करने में ऊंट गाड़ी टैक्टर आदि लाने व ले जाने के काम में नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता ए से बी को लेता आ रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विधिवत कटा हुआ नहीं है। इस कारण अनावेदकगण नं. 1 व 2 कभी भी उक्त नजरी नक्शा में दर्शाये गये रास्ता ए से बी को बन्द कर सकते है। इस कारण नजरी नक्शा में दर्ज ए से बी रास्ता को राजस्व रिकार्ड में 10 फुट चौड़ा दर्ज करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

राजस्व वाद संख्याः–12/2019

नरेश कुमार वगै0 बनाम आत्माराम वगै0

निर्णय दिनांकः– 20.06.2025

यह कि आवेदक धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करने को तैयार है। तथा भूमि खसरा नं. 23 में से उक्त रास्ता कायम किये जाने पर जितनी जमीन कम होती है उतनी जमीन भूमि खसरा नं. 23 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी नं. 1 व 2 को भूमि खसरा नं. 39 में से देने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 39 रकबा 1.66 हैक्टर वाके मौजा पिलानी में आने जाने के लिऐ नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता भूमि खसरा नं. 23 रकबा 2.16 हैक्टर के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होते हुये कटानी रास्ता खसरा नं. 17 तक 10 फुट चौड़ा नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का व मौका पर, अवरूद्ध होने पर खुलवाये जाने का आदेश अनावेदक नं. 27 को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक पाठक/2019/562 दिनांक 23.12.2019 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता हैं। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक पाठक/2019/562 दिनांक 23.12.2019 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 39 मौजा पिलानी में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 23 अप्रार्थीगण की भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 120 मीटर जिसमे 3.33 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर लगभग कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट पाठक/2019/562 दिनांक 23.12.2019 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 39 मौजा पिलानी में आने जाने के लिए नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 23 अप्रार्थीगण की भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 120 मीटर जिसमे 3.33 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर लगभग कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़